

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

५५९५

दिनांक :- 13.9.11

अधि० सं०-१/स्था.(स्थाना.-पदसं.)११-२/२०१०- / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लि., राँची के निम्नांकित रिक्त पदों पर प्रभार ग्रहण करने हेतु स्तम्भ-०२ में अंकित पदाधिकारी को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त स्तम्भ-०३ में अंकित पद/कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन का स्थान	रिक्त पद/ कार्यालय का नाम (जिसका अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना है)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द कुमार कार्यपालक अभियंता नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमंडल सं.-१, राँची	प्रबंधक तकनीकी झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लि., राँची	
2	श्री प्रिय रंजन सिन्हा सहायक अभियंता मुख्य अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई, राँची	सहायक प्रबंधक तकनीकी झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लि., राँची	

- यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक-

५५९५

राँची, दिनांक- 13.9.11

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी २५ (पचीस) प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक-

५५९५

राँची, दिनांक- 13.9.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ प्रबंध निदेशक, झालको/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को संसूचित करेंगे।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)

३१/९/११